प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी पक्ष भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार जायल से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिन्होने प्रार्थी का सही दस्तावेजी नाम श्रीकिशन पुत्र रूपाराम, जाट साकिन देह खातेदार सही नाम होने तथा ग्राम–डिडियाखुर्द तहसील जायल के खाता संख्या 39 के खसरा नं. 14 में प्रार्थी का नाम किसनाराम पुत्र रूपाराम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज नाम अशुद्ध होना जाहिर किया तथा प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु अभिशंषा की।

प्रकरण में पक्षकारान/राजपैरोकार को सुना गया। प्रकरण तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम किसनाराम एवं सरकारी दस्तावेजों में नाम श्रीकिशन देह खातेदार होना मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार जायल के अवलोकन से पाया गया तथा प्रार्थी को इन दोनो नाम में अन्तर होने से सरकारी सुविधा नहीं मिलना प्रतीत होता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त/शुद्ध किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम–डिडियाखुर्द तहसील जायल के खाता संख्या 39 में अंकित खसरा नं. 14 में वर्णित नाम किसनाराम पुत्र रूपाराम जाति जाति–जाट निवासी– डिडियाखुर्द तहसील जायल के स्थान पर श्री किशन पुत्र रूपाराम जाति जाति–जाट निवासी– डिडियाखुर्द तहसील जायल राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त/शुद्ध किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 15/11/2021 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

15/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner